



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042026-271671  
CG-DL-E-09042026-271671

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1748]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 1748]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2026

**का.आ. 1816(अ).**— भारत सरकार, रेल मंत्रालय (निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या का.आ. 683(ई) दिनांक 2 फरवरी, 2026 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II) खण्ड 3, उप-खण्ड (II) में प्रकाशित की गई थी, के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत मुफ्तीगंज (एन-ई-आर) जौनपुर-महगावों बायपास (जौनपुर जंक्शन) 1.5 कि.मी. को जोड़ने वाली कॉर्ड-लाइन निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन एवं संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंशा घोषित की गई थी।

और उक्त, अधिसूचना के सारांश की सूचना अमर उजाला, और टाइम्स ऑफ इंडिया में 04 फरवरी, 2026 को रेलवे अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के तहत प्रकाशित की गई थी।

और जहां इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अनुरूप आदेश पारित किए गए हैं।

और जहां, रेलवे अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः, केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

यह घोषणा करती है कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाएगी। और आगे, रेलवे अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (2) के अनुपालन में, केन्द्र सरकार यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अनुसूची में उल्लिखित भूमि केन्द्र सरकार के अधिकार में पूर्ण रूप से आ जाएगी तथा सभी दायित्वों से मुक्त होगी।

<b>अनुसूची</b>	
उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना मुफ्तीगंज (एन-ई-आर) जौनपुर-महगावाँ बायपास (जौनपुर जंक्शन) 1.5 कि.मी. को जोड़ने वाली कॉर्ड-लाइन के लिए जौनपुर जिले में की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।	
जिला का नाम	जौनपुर
तहसील का नाम	सदर
गांव का नाम	शाहदौदपुर उर्फ काकोरगहना

क्र. सं.	सर्वेक्षण / गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	क्षेत्रफल (हे०)
1	987	निजी	कृषि	उमराई देवी पत्नी गामा, ब्रजेश, राकेश, राजेश, सुरेश पुत्र गामा, संतोष, सुरज पुत्र रामराज	0.0351
2	988	निजी	कृषि	गौरव न० ब० उम्र वर्ष 8 वर्ष पुत्र रामदुलार नि० ग्राम, ठकुरी पत्नी सीताराम, लल्लन पुत्र सीताराम, उषा देवी पत्नी रामदुलार, सौरव न० ब० उम्र 5 वर्ष पुत्र रामदुलार नि० ग्राम	0.0321
3	989	निजी	कृषि	गौरव न० ब० उम्र 8 वर्ष पुत्र रामदुलार नि० ग्राम, ठकुरी पत्नी सीताराम, लल्लन पुत्र सीताराम, उषा देवी पत्नी रामदुलार, सौरव न० ब० उम्र 5 वर्ष पुत्र रामदुलार नि० ग्राम	0.0170
9	1001	निजी	कृषि	अरविन्द कुमार, इन्द्रेण कुमार, राजेश पुत्र दयाराम, लालती देवी पत्नी दयाराम नि० ग्राम	0.0154
10	991	निजी	कृषि	उमराई देवी पत्नी गामा, ब्रजेश, राकेश, राजेश, सुरेश पुत्र गामा, संतोष, सुरज पुत्र रामराज नि० ग्राम	0.0467
11	992	निजी	कृषि	श्रीमती चन्द्रदेई पत्नी प्यारेलाल, संजय कुमार पुत्र प्यारेलाल नि० ग्राम	0.0012
				<b>कुल</b>	<b>0.1475</b>

जिला का नाम	जौनपुर
तहसील का नाम	सदर
गांव का नाम	पुरुषोत्तमपुर उर्फ पांडेयपुर

क्र. सं.	सर्वेक्षण / गाटा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम	क्षेत्रफल (हे०)
1	79	निजी	कृषि	अध्याशंकर, अवधेश कुमार, त्रिभुवन, दिलीप पुत्र विश्राम	0.0040
2	78	निजी	कृषि	निर्मला देवी पत्नी उमा शंकर	0.0020
				<b>कुल</b>	<b>0.0060</b>

[फा. सं. 190-W/Land/JNU and SHG]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-द्वितीय

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2026

**S.O. 1816(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Construction Organization), number, S.O. 683(E), dated the 2nd February, 2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km”** in the village Purshottampur & Shudaudpur of district Jaunpur in the state of UP.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Amar Ujjala dated the 4th February 2026, Times of India dated 4<sup>th</sup> February 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered, and accordingly orders have been passed; And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

<b>SCHEDULE</b>	
A brief description of the land in Jaunpur district of Uttar Pradesh state required for the special railway project, <b>“Chord Line Connecting MFJ (NER)-JNU-MGWN Bypassing JNU (Jaunpur Jn.) 1.5 Km”</b> including or excluding structures:	
<b>Name of District</b>	<b>Jaunpur</b>
Name of Tehsil	Sadar
Name of Village	Shahdaudpur urf kakorgahna

<b>Sr. No.</b>	<b>Survey/ Khasra No.</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Name of Owner / Interested Person</b>	<b>Area (in Hectares)</b>
1	987	Private	Agriculture	Umrai Devi w/o Gama, Brajesh, Rakesh, Rajesh, Suresh s/o Gama, Santosh, Suraj s/o Ramraj	0.0351
2	988	Private	Agriculture	Gaurav Minor Age 8 y/o s/o Ramdular R/o village, Thakuri w/o Sitarram, Lallan s/o Sitarram, Usha Devi w/o Ramdular, Saurav Minor Age 5 y/o s/o Ramdular R/o Village	0.0321
3	989	Private	Agriculture	Gaurav Minor Age 8 y/o s/o Ramdular R/o village, Thakuri w/o Sitarram, Lallan s/o Sitarram, Usha Devi w/o Ramdular, Saurav Minor Age 5 y/o s/o Ramdular R/o Village	0.0170
9	1001	Private	Agriculture	Arvind Kumar, Indresh kumar, Rajesh s/o Dayaram, Lalti Devi w/o late Dayaram R/o Village	0.0154
10	991	Private	Agriculture	Umrai Devi w/o Gama, Brajesh, Rakesh, Rajesh, Suresh s/o Gama, Santosh, Suraj s/o Ramraj R/o Village	0.0467
11	992	Private	Agriculture	Smt. Chandraei w/o Pyarelal, Sanjay kumar s/o Pyarelal R/o Village	0.0012
				<b>TOTAL</b>	<b>0.1475</b>

<b>Name of District</b>	<b>Jaunpur</b>
Name of Tehsil	Sadar
Name of Village	Purshottampur urf Pandeypur

<b>Sr. No.</b>	<b>Survey/ Khasra No.</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Name of Owner / Interested Person</b>	<b>Area (in Hectares)</b>
1	79	Private	Agriculture	Adhyashankar, Awdhesh Kumar, Tribhuwan, Dileep s/o Vishram	0.0040
2	78	Private	Agriculture	Nirmala Devi w/o Umashankar	0.0020
				<b>TOTAL</b>	<b>0.0060</b>

[F. No. 190-W/Land/JNU and SHG]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Const.-II